पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मो. अतिउल्लाह खान

बनाम

शकीला खातून

2016 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 1006

31 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है?

हेडनोट्स

पत्नी को उपलब्ध वैधानिक अधिकार, जो धारा 125 के तहत है, उस पर उसके व्यक्तिगत विधि के प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुस्लिम पति पर तलाकशुदा पत्नी, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, के लिए भरण-पोषण देने का दायित्व है और इस प्रश्न पर धारा 125 तथा मुस्लिम व्यक्तिगत विधि में कोई टकराव नहीं है। (पैरा 21)

यह पति का मामला नहीं है कि तलाक के बाद पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है। याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहा कि पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है और यह भी पर्याप्त कारण नहीं बताया गया कि पत्नी अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही है। जबकि पत्नी का कहना है कि दो-तीन अवसरों पर उसे याचिकाकर्ता और उसके परिवार वालों ने पीटा और घर से निकाल दिया, जिसके लिए उसने शिकायत वाद तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई। इसलिए पत्नी के पास अपने पति के साथ न रहने का उचित और पर्याप्त कारण है। (पैरा 22, 23, 24)

पति ने यह दलील नहीं दी कि पत्नी भी कमा रही है, जबकि पत्नी ने कहा कि उसका पति दर्जी का काम करता है और प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है। पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिया गया 3,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण अत्यधिक नहीं है। (पैरा 24)

आवेदन खारिज किया जाता है। (पैरा 27)

न्याय दृष्टान्त

रोहताश सिंह बनाम रमेंद्री (श्रीमती) एवं अन्य, **(2000) 3 एससीसी 180;** वनमाला (श्रीमती) बनाम एच.एम. रंगनाथ भट्ट, **(1995) 5 एससीसी 299**; डॉ. स्वपन कुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, **(2020) 19 एससीसी 342**; मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम एवं अन्य, **(1985) 2 एससीसी 55**; अंजू गर्ग एवं अन्य बनाम दीपक कुमार गर्ग, **2022 एससीसी ऑनलाइन 1314**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 — धारा 125; भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 498-ए

मुख्य शब्दों की सूची

भरण-पोषण, तलाक, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, धारा 125 दं.प्र.सं., खुल्लनामा, व्यभिचार, क्रूरता, पारिवारिक न्यायालय

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 20.08.2016 का निर्णय, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा पारित, सिविल मिस. मामला संख्या 74/2011

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अनिल कुमार

प्रतिवादी की ओर से: श्री अशोक कुमार झा

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 1006

थाना मामला सं.-1111 थाना-बैरगनिया, जिला सीतामढ़ी से उद्भूत

==========

मो. अतिउल्ला खान,पिता स्वर्गीय हबीब खान, निवासी ग्राम परसौनी, पोस्ट पचतकी यादू, थाना बैरगनिया, जिला सीतामढ़ी

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

शकीला खातून पिता स्वर्गीय जलील खान, वर्तमान निवासी गाँव और पोस्ट पताही, थाना बैरगनिया, जिला सीतामढ़ी

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अनिल कुमार

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अशोक कुमार झा

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

दिनांक : 31-08-2023

वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा विविध वाद संख्या 74/2011 में पारित दिनांक 20.08.2016 के निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया है,जिसके तहत याचिकाकर्ता/पति को निर्देश दिया गया है कि वह भरण-पोषण याचिका दायर करने की तिथि अर्थात 19.07.2011 से, प्रत्येक माह की 12 तारीख तक पत्नी/विपक्षी पक्ष को 3,000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करे।आक्षेपित निर्णय द्वारा, याचिकाकर्ता को पत्नी/विपक्षी पक्ष को तीन मासिक किश्तों में बकाया भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है,जिसमें 1,500/- रुपये

की अंतरिम भरण-पोषण राशि को समायोजित किया जाएगा, जो याचिकाकर्ता द्वारा पत्नी/विपक्षी पक्ष को भुगतान की जा रही थी।

2. वर्तमान मामले को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष के बीच विवाह वर्ष 1999 में मुस्लिम रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के तहत किया गया था।यह पत्नी/विरोधी पक्ष का मामला है कि शादी के तीन साल बाद, उसे पता चला कि उसका पति/याचिकाकर्ता उसके *भाभी* के साथ अवैध संबंध में है और जब पत्नी/विरोधी पक्ष ने अपने पति के उक्त गलत कार्य का विरोध किया, तो उसे यातना और क्रूरता का सामना करना पड़ा। इस बीच, पत्नी/विरोधी पक्ष ने वर्ष 2002-03 में एक लड़की को जन्म दिया और लड़की के जन्म के बाद, पति-याचिकाकर्ता ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साजिश में पत्नी/विरोधी पक्ष का सारा सामान छीन लिया और उसे उसके वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद, पत्नी/विरोधी पक्ष अपने माता-पिता के घर में रहने लगी।

3. इसके बाद, पत्नी/विपक्षी ने 22.02.2006 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत एक शिकायत मुकदमा संख्या 217/2006 दर्ज कराई, जिसे बाद में बैरगनिया पुलिस थाना मुकदमा संख्या 54/2006 के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता-पति ने जमानत लेते समय एक समझौता याचिका और एक वचन पत्र दायर किया, जिसके प्रभाव में पत्नी/विपक्षी अपने ससुराल वापस आ गई। लेकिन 15.08.2009 को उक्त बैरगनिया पुलिस थाना मुकदमा संख्या 54/2006 के निपटारे के बाद, उसे फिर से अपने ससुराल से निकाल दिया गया।

4. पत्नी/विपक्षी ने एक और शिकायत मामला दायर किया, जिसका शिकायत मामला संख्या सी1-1511/2009 था, जिसमें भी 27.09.2010 को जमानत के समय दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। जब पत्नी/विपक्षी फिर से गर्भवती हो गई, तो उसे 05.06.2011 को याचिकाकर्ता-पति ने पत्नी/विपक्षी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ

अवैध/व्यभिचारी संबंध का आरोप लगाया और उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया और तब से पत्नी/विपक्षी अपने मायके में रह रही है।

5. पत्नी/विपक्षी के पिता की मृत्यु के बाद,पत्नी/विपक्षी अपना, अपनी गर्भावस्था और अपनी आठ वर्षीय बेटी का भरण-पोषण करने में असमर्थ थी, इसलिए उसे मजबूर होकर 19.07.2011 को एक विविध वाद संख्या 74/2011, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीतामढ़ी के समक्ष भरण-पोषण का वाद दायर करना पड़ा,जिसमें 5000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की गई,क्योंकि पति-याचिकाकर्ता सिलाई के काम से 15,000/- रुपये प्रति माह कमाता था। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता-पति ने किसी अन्य लड़की से दूसरी शादी कर ली है।

6. याचिकाकर्ता-पति का मामला यह है कि उक्त भरण-पोषण का मामला केवल उसे मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान, अपमानित और प्रताड़ित करने के इरादे से दायर किया गया है। पत्नी/विपक्षी पक्ष उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने की आदत रखता है क्योंकि वह एक संदिग्ध चरित्र की महिला है, जो उसके दूसरी बार गर्भवती होने से स्पष्ट है। पत्नी/विपक्षी पक्ष ने याचिकाकर्ता को यह धमकी देते हुए कि अगर तलाक नहीं दिया गया, तो उसके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए जाएँगे, अपनी मर्जी से 26.04.2011 (अनुलग्नक 3) को खुल्लानामा तलाक ले लिया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक दुकान पर सिलाई का काम करता है और 4,000/- रुपये प्रति माह कमाता है और बी.पी.एल. का ग्राहक/सदस्य है और उसे खाद्यान्न खरीदने के लिए बी.पी.एल. योजना का कूपन भी मिल रहा है, जो अनुलग्नक 1 में संलग्न है)।

8. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक पंचायती में एक पंचनामा जारी किया गया था, जो 08.12.2015 (अनुलग्नक 2) पर आयोजित किया गया था, जो दर्शाता है कि पत्नी/विरोधी पक्ष स्वयं याचिकाकर्ता-पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी

और वह मामलों से समझौता करने के लिए याचिकाकर्ता-पति से जमीन और नकद राशि की मांग कर रही थी। वह अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता-पति के साथ नहीं रह रही थी।

9. याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक 4 के माध्यम से दिनांक 21.06.2011 की पुलिस रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष ने दावा किया है कि पत्नी/विपक्षी पक्ष ने व्यभिचारी गर्भधारण किया था। उक्त बच्चे की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। पत्नी अपना सारा सामान और अपनी बेटी को भी छोड़कर अपने ससुराल से चली गई थी, जो याचिकाकर्ता के साथ रह रही है।

10. विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता सिलाई से केवल 5,000 रुपये प्रति माह कमाता है और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है और यदि वह अपनी 5,000 रुपये की कुल कमाई में से 3,000 रुपये भी अलग कर देता है, तो वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भूख से मर जाएगा। उन्होंने आगे दलील दी कि भरण-पोषण का यह आदेश बिना किसी वैध साक्ष्य के केवल आय के अनुमान पर पारित किया गया था और इस प्रकार, भरण-पोषण का यह आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

11. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि पत्नी/विरोधी पक्ष की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है, जिसमें ए. डब्ल्यू.-1 स्वयं पत्नी है, ए. डब्ल्यू. 2 उसकी माँ है और ए. डब्ल्यू. 3 उसका भाई है और पत्नी/विरोधी पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि, इसमें पति-याचिकाकर्ता की ओर से छह गवाहों से पूछताछ की गई थी।

12. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकार कानूनी रूप से विवाहित जोड़े हैं और पत्नी/विपक्षी पक्षकार 05.06.2011 से अपने पैतृक घर में रह रही है। अपनी प्रति-परीक्षण में, पत्नी/विपक्षी पक्षकार ने यह बयान दिया है कि वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और उसने अपनी इच्छा से अपने पति को तलाक भी नहीं दिया है। पक्षकारों की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, अपने पिता के साथ रह रही है,

जिनकी मासिक आय 16,000 रुपये है।

13.याचिकाकर्ता-पति ने अपनी मुख्य परीक्षा में,यह गवाही दी है कि वह केवल 5,000 रुपये प्रति माह कमाता है और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। उसने आगे यह भी गवाही दी कि वह अपनी पत्नी को रखने के लिए हमेशा तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी इच्छा से उसे तलाक दे दिया। अपने प्रति-परीक्षण में, याचिकाकर्ता-पति ने यह गवाही दी है कि उसने एक सादे कागज़ पर पत्नी/विपरीत पक्ष के हस्ताक्षर लिए और तलाकनामा तैयार करवाया। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी दूसरी शादी कर ली है।

14. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और विवादित फैसले सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

15. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का सार यह है कि एक बार जब पत्नी-विपरीत पक्ष ने तलाक ले लिया है और याचिकाकर्ता-पति और पत्नी-विपरीत पक्ष के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया है, तो याचिकाकर्ता-पति उस महिला का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसके साथ तलाक के बाद सभी संबंध समाप्त हो गए हैं।

16. याचिकाकर्ता-पति का आगे का मामला यह है कि पत्नी अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ नहीं रह रही है और वह संदिग्ध चरित्र की महिला है।

17. दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता एक याचिका ले रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के तहत, यदि पत्नी व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी पर्याप्त कारण के, वह अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है, तो वह भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।

18. जहाँ तक तर्क के पहले चरण का सवाल है, जो पत्नी-विपक्ष द्वारा दिए गए खुल्लानामा तलाक पर आधारित है,सर्वोच्च न्यायालय ने **रोहताश सिंह बनाम रामेंद्री (एसएमटी) एवं अन्य** के मामले में, **(2000) 3 एससीसी 180** में रिपोर्ट किया गया,यह माना

है कि एक महिला के भरण-पोषण के दो अलग-अलग अधिकार हैं।पत्नी होने के नाते, वह भरण-पोषण की हकदार है जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) में बताई गई किसी भी विकलांगता से ग्रस्त न हो।एक अन्य क्षमता में, अर्थात्, एक तलाकशुदा महिला के रूप में, वह फिर से उस व्यक्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है जिसकी वह कभी पत्नी थी। यदि वह अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती या अविवाहित रहती है, तो वह पुरुष जो कभी उसका पति था,उसे भरण-पोषण प्रदान करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य और दायित्व के अधीन बना रहता है।

19. एक अन्य निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने **वनमाला (एसएमटी) बनाम एच. एम. रंगनाथ भट्ट** मामले में, जिसकी रिपोर्ट **(1995) 5 एससीसी 299** में दी गई है, यह माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 125 की उपधारा (4) में "पत्नी" शब्द का विस्तारित अर्थ तलाकशुदा महिला को शामिल करना नहीं है। यह स्पष्ट कारण है कि जब तक पति-पत्नी का रिश्ता न हो, तब तक तलाकशुदा महिला के व्यभिचार में रहने या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तलाक के बाद,एक महिला के अपने पति के साथ रहने का क्या अधिकार है?इसी प्रकार, पति-पत्नी के आपसी सहमति से अलग रहने का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि तलाक के बाद,अलग रहने के लिए सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः, इस संदर्भ में,दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की उप-धारा (4) उस महिला के मामले में लागू नहीं होती जिसका तलाक हो चुका है या जिसने तलाक का आदेश प्राप्त कर लिया है। अतः,एक पत्नी, जो आपसी सहमति से तलाक प्राप्त करती है, को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125(4) के आधार पर भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता।

20. एक अन्य निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. स्वप्न कुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य** मामले में, **(2020) 19 एससीसी 342** में रिपोर्ट किए गए, यह माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का स्पष्टीकरण II, काल्पनिक

मानकर तलाकशुदा महिला को पत्नी मानता है और इसलिए, एक महिला जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है वह अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है। तलाकशुदा पत्नी को पत्नी मानने की काल्पनिक मानकर उसे केवल भरण-पोषण प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए ही पढ़ा जा सकता है और इस काल्पनिक मानकर को इस अतार्किक सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति के साथ रहने के लिए मजबूर है।

21. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम एवं अन्य, (1985) 2 एससीसी 556 में दर्ज मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है। इसे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को त्वरित और संक्षिप्त उपचार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। ऐसे प्रावधान, जो अनिवार्य रूप से रोगनिरोधी प्रकृति के हैं, धर्म की बाधाओं को पार करते हैं। ये पक्षकारों के व्यक्तिगत कानून का स्थान नहीं ले सकते, लेकिन,समान रूप से, पक्षकारों द्वारा अपनाया गया धर्म या व्यक्तिगत कानून की वह स्थिति जिसके द्वारा वे शासित होते हैं, ऐसे कानूनों की प्रयोज्यता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं डाल सकती, जब तक कि संविधान के ढांचे के भीतर, उनका अनुप्रयोग धार्मिक समूहों या वर्गों की एक निश्चित श्रेणी तक सीमित न हो।धारा 125 द्वारा निर्धन निकट संबंधियों के भरण-पोषण हेतु लगाया गया दायित्व, व्यक्ति के समाज के प्रति दायित्व पर आधारित है कि वह आवारागर्दी और अभाव को रोके। कानून और नैतिकता के नैतिक आदेश को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में "पत्नी" का अर्थ पत्नी है, चाहे वह किसी भी धर्म को मानती हो। इसलिए, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला, जब तक उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रयोजनार्थ "पत्नी" है। उस धारा के तहत उसे प्राप्त वैधानिक अधिकार उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों से अप्रभावित है। एक मुस्लिम पति के अपनी

तलाकशुदा पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, को भरण-पोषण प्रदान करने के दायित्व के प्रश्न पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। यदि कोई पत्नी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का सहारा ले सकती है।

22. उपर्युक्त कानूनी प्रस्ताव और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर, याचिकाकर्ता-पति की यह दलील कि पत्नी-विपरीत पक्ष द्वारा प्राप्त तलाक के बाद,वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है, स्वीकार नहीं की जा सकती, विशेष रूप से, जब याचिकाकर्ता-पति का यह मामला नहीं है कि पत्नी-विपरीत पक्ष ने तलाक के बाद पुनर्विवाह किया है।

23. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125(4) के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा करने में विपक्षी पक्षकार की अक्षमताओं के संबंध में याचिकाकर्ता-पति का दूसरा तर्क भी इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि याचिकाकर्ता विपक्षी पक्षकार की पत्नी के व्यभिचारी संबंध को स्थापित करने में विफल रहा है और इसके अलावा, अपने पति के साथ न रहने का पर्याप्त कारण भी नहीं दिया गया है क्योंकि विपक्षी पक्षकार की पत्नी का मामला यह है कि दो या तीन मौकों पर याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर हमला किया गया और उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके लिए उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत शिकायत और प्राथमिकी दर्ज कराई।

24. इस प्रकार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी-विपक्षी के पास अपने पति-याचिकाकर्ता के साथ न रहने का वैध और पर्याप्त कारण है। पति-याचिकाकर्ता ने यह तर्क नहीं दिया है कि पत्नी-विपक्षी भी कमाती है,हालाँकि, पत्नी-विपक्षी ने अपने बयान में कहा है कि उसका पति सिलाई का काम करता है और 16,000/- रुपये प्रति माह कमाता है। विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा दिया गया 3,000/- रुपये का भरण-पोषण भत्ता आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि और जीवन-यापन की

बढ़ती लागत को देखते हुए अत्यधिक नहीं है।

25. सर्वोच्च न्यायालय ने **अंजू गर्ग और अन्य बनाम दीपक कुमार गर्ग** मामले में, जिसकी रिपोर्ट **2022 एससीसी ऑनलाइन 1314** में दी गई है, यह माना है कि पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है और पति को शारीरिक श्रम से भी धन अर्जित करना आवश्यक है, यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम है और कानूनी रूप से स्वीकार्य आधारों को छोड़कर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।

26. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि 3,000 रुपये प्रति माह की मामूली राशि के भरण-पोषण के विवादित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

27. तदनुसार, यह आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।